Submit

Sub Registry Office,Danapur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 396

RTPS No.:-
030118283002300401

चूँकि श्री SARIFA DEVI ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणिकाओं में ता० 01/01/2008 से ता० 19/01/2023 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है–

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/खाता नं०	खाता खेसरा रकबा	वस्तावेज का प्रकार	मूल्य	लिंक संख्या	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	कं
1	DANAPUR DANAPUR	DANAPUR 21	181 963	3 DECIMAL		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया –

नाम –Ramanand Prasad
Cleark

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम –Md. Juubair Alam
Cleark

कार्यालय – Sub Registry Office, Danapur तारीख – 19/01/2023

निबंधन कार्यालय, दानापुर • पटना •

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
19.1.23

टिप्पणी–

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजक्शन) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगें।)

2 निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।

3 किन्तु चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4 और चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक – 396 दिनांक – 19/01/2023

शाखा प्रबंधक IDBI BANK के पत्र दिनांक 19/01/2023 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

19.1.23

Submit

Sub Registry Office,Danapur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं0 395

RTPS No.:-
030118283002300400

चूँकि श्री INDRADEV PRASAD RAI ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के सबध मे निबन्धित सव्यवहारों और अवभारो का विवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सव्यवहारो और अवभारो के बारे मे बही 1 मे और उससे सबधित अनुक्रमणियो मे ता0 01/01/2008 से ता0 19/01/2023 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों का पता चला है–

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वाई नं0	खाता खेसरा रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	निन्द संख्या	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	वर्ष
	DANAPUR	DANAPUR								

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सव्यवहार और अवभारो को छोड, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य सव्यवहार और अवभार का पता नही चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया –
नाम –Ramanand Prasad
Cleark

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जॉच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम –Md. Juubair Alam
Cleark

कार्यालय – **Sub Registry Office, Danapur** तारीख – **19/01/2023**

निबधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
19.1.23

टिप्पणी–

1. इस प्रमाण पत्र मे जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबधित दस्तावेजो में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजो से प्रभावित सव्यवहार (ट्राजेक्सन) इस प्रमाण–पत्र मे शामिल न किये जायेगें।)
2. निबधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियो (इण्डेक्स) की प्रविष्टियॉ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे सव्यवहारो और अवभारो के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

पत्रांक:– 395 दिनांक:– 19/01/2023
शाखा प्रबंधक IDBI BANK के पत्र दिनांक 19/01/2023 के आलोक में प्रेशित।

निबधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
19-1-23